भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

**लोक सभा**

**तारांकित प्रश्न संख्या *111**

जिसका उत्तर सोमवार, 28 जुलाई, 2025/6 श्रावण, 1947 (शक) को दिया गया

**एकीकृत पेंशन योजना के अंतर्गत लाभ**

*111. श्री कंवर सिंह तंवर:
डॉ. संजय जायसवालः
क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) एकीकृत पेंशन योजना के अंतर्गत अतिरिक्त लाभ प्राप्त करने हेतु केंद्र सरकार के सेवानिवृत्त कुल कितने पात्र अभिदाता हैं;

(ख) इस योजना की शुरुआत से अब तक कितने दावे प्राप्त हुए हैं और कितने दावों के संबंध में कार्रवाई आरंभ की गई है;

(ग) क्या सरकार का निकट भविष्य में अन्य पेंशन योजनाओं या क्षेत्रों में भी ऐसे लाभ प्रदान करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार उक्त योजना को और अधिक कर्मचारी-हितैषी बनाने के लिए इसमें संशोधन करने पर विचार कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

वित्त मंत्री (श्रीमती निर्मला सीतारामन)

**(क) से (ङ):** एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

*****

**“एकीकृत पेंशन योजना के अंतर्गत लाभ” के संबंध में श्री कंवर सिंह तंवर और डॉ. संजय जायसवाल द्वारा पूछे गए दिनांक 28.7.2025 के लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *111 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण**

**(क)** पात्रता मानदण्डों के अनुसार, एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) के अंतर्गत केन्द्र सरकार के 25,756 सेवानिवृत्त अभिदाता अतिरिक्त लाभ प्राप्त करने के पात्र हैं। ये पात्र अभिदाता केंद्र सरकार के वे कर्मचारी हैं जिन्होंने दस साल या उससे अधिक की अर्हक सेवा पूरी करने के बाद 31 मार्च 2025 को या उससे पहले अधिवर्षिता प्राप्त की है या मृत हुए है या मौलिक नियम 56 (ञ) के तहत सेवानिवृत्त हुए हैं और राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के अंतर्गत कवर किए गए थे।

**(ख)** 20 जुलाई, 2025 तक, 7,253 दावे प्राप्त हुए हैं और जिनमें से 4,978 दावों पर यूपीएस के तहत लाभों के भुगतान के लिए कार्रवाई की गई है।

**(ग)** यूपीएस को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के अंतर्गत एक विकल्प के रूप में केंद्र सरकार के उन कर्मचारियों के लिए शुरु किया गया है जो एनपीएस के अधीन कवर हैं। अन्य पेंशन योजनाओं अथवा सेक्टर्स को ऐसे लाभ प्रदान करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

**(घ) और (ङ)** कर्मचारियों और एसोसिएशन से प्राप्त अभ्यावेदनों के आधार पर, यूपीएस का विकल्प चुनने की निर्दिष्ट (कट-ऑफ) तारीख को तीन महीने की अवधि तक बढ़ाकर 30 सितंबर, 2025 कर दिया गया था। सरकार ने यूपीएस द्वारा कवर किए गए केंद्र सरकार के कर्मचारियों को केंद्रीय सिविल सेवा (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत ग्रेच्युटी का भुगतान) नियम, 2021 के प्रावधानों के अधीन 'सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी और मृत्यु ग्रेच्युटी' का लाभ दिया है। इसके अलावा, केंद्र सरकार के कर्मचारी जो एनपीएस के अंतर्गत यूपीएस का विकल्प चुनते हैं, वे सीसीएस (पेंशन) नियम, 2021 या सीसीएस (असाधारण पेंशन) नियम, 2023 के अधीन सेवा के दौरान सरकारी कर्मचारी की मृत्यु या अशक्तता या दिव्यांगता के आधार पर डिसचार्ज की स्थिति में लाभ प्राप्त करने के विकल्प के पात्र होंगे। केंद्र सरकार ने यूपीएस के लाभार्थियों को आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत एनपीएस लाभार्थियों को यथाउपलब्ध कर लाभ भी प्रदान किया है।

*****